

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) सीकर


क्रमांक : 1472 / न.पा.निर्वाचन / 2015

दिनांक : 2 अगस्त, 2015

आदेश

सीकर जिले की नगरीय संस्थाओं क्रमशः रामगढ शेखावाटी, फतेहपुर, लोसल, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस के आम चुनाव 17.8.2015 (सोमवार) को होने है। अतः प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुपालना में इन (रामगढशेखावाटी, फतेहपुर, लोसल, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं रींगस) नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान तिथि को अर्थात् दिनांक 17.8.2015 (सोमवार) को एतद्द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग, कार्यालयों, संस्थाओं, औद्योगिक श्रम संस्थाओं के लिए भी प्रभावी रहेगा।


(पी.सी.चौधरी)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी

(कलक्टर) सीकर

दिनांक : अगस्त, 2015

क्रमांक : / न.पा.निर्वाचन / 2015 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
4. निदेशक, वित्त (बजट) मार्गोपाय खण्ड वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. पुलिस अधीक्षक, सीकर
6. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर
7. समस्त रिटर्निंग आफिसर नगरपालिका आम चुनाव, 2015.....
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मा./प्रा.) (प्रथम/द्वितीय), सीकर
9. सहायक श्रम आयुक्त सीकर
10. उपखण्ड अधिकारी, रामगढशेखावाटी/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ/सीकर/दांतारामगढ/ श्रीमाधोपुर/ खण्डेला
11. तहसीलदार, रामगढ शेखावाटी/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ/सीकर/दांतारामगढ/श्रीमाधोपुर/खण्डेला
12. कार्यालयाध्यक्ष
13. जिला रसद अधिकारी, सीकर
14. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, सीकर
15. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष/न्याय शाखा
16. निजी सहायक जिला कलक्टर, /अति.कलक्टर, सीकर
17. रक्षित पत्रावली



उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) सीकर